



दिनांक 15.05.2023

प्रेस विज्ञप्ति 16 / 2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 18 हजार 500 रुपये नगद
 - 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस
 - घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 14.05.2023 की रात्रि थाना शिकोहाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दिवायची व कंथरी तिराहा के जंगल में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—गोविन्द 2—अनार सिंह घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 18 हजार 500 रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत अभियोग धारा 394 भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त गोविन्द के विरुद्ध जनपद एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 27 अभियोग व अभियुक्त अनार सिंह के विरुद्ध जालौन, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—गोविन्द निवासी ग्राम कंथरी थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
- 2—अनार सिंह निवासी भोगपुरा थाना कुरा जनपद मैनपुरी, हालपता—प्रेमनगर सैलई थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

- 1—लूट के 18 हजार 500 रुपये नगद।
- 2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।
- 3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना इब्राहिमपुर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त
गिरफ्तार

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस
- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद

दिनांक: 14.05.2023 की रात्रि थाना इब्राहिमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलनपुर मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त चॉद मोहम्मद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर पर पंजीकृत अभियोग धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इब्राहिमपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चौद मोहम्मद निवासी सहजौरा थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद मथुरा/थाना छाता

● 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद

दिनांक 14.05.2023 को थाना छाता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोडवाल माजरी गांव पेट्रोलपम्प के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रहीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छाता पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रहीश निवासी कोट थाना बहीन जनपद पलवल हरियाणा।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर।

जनपद इटावा/थाना पछायगॉव

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 15.05.2023 को थाना पछायगॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुरोंग की तरफ जाने वाले रास्ते के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पछायगॉव पर पंजीकृत अभियोग धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट आगरा, जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पछायगॉव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी ग्राम जैतपुर थाना जैतपुर, आगरा।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना पिहानी

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट की घटना का अनावरण
- लूट के 95 हजार 800 रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 14.05.2023 को थाना पिहानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गदनापुर मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1—सूरज पुत्र रामबिलास 2—सूरज पुत्र नन्हेलाल

3—अमन उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 95 हजार 800 रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 09.05.2023 को थाना पिहानी क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिहानी पर अभियोग धारा 392 भादवि का पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये, मोबाइल फोन उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पुत्र रामबिलास के विरुद्ध जनपद हरदोई के थाना पाली पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पिहानी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सूरज पुत्र रामबिलास निवासी मोहल्ला विहिहाना कस्बा व थाना पाली जनपद हरदोई।
- 2—सूरज पुत्र नन्हेलाल निवासी मोहल्ला भगवंतपुर कस्बा व थाना पाली जनपद हरदोई।
- 3—अमन उर्फ भोला निवासी मोहल्ला सुलहसराय कस्बा व थाना पाली जनपद हरदोई।

बरामदगी

- 1—लूट के 95 हजार 800 रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन।
- 2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।
- 3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूटे गये सामान ब्रिकी के 25 हजार रुपये नगद
- 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 15.05.2023 को थाना पिलखुवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नन्दराम होटल के पीछे गालन्द रोड के पास से 05 अभियुक्तों 1—गौरव 2— आशिफ उर्फ

चिड़िया 3—रिजवान 4—सत्यप्रकाश 5—सतीश चन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सामान ब्रिकी के 25 हजार रुपये नगद, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पिलखुवा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या सहित डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव के विरुद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, विद्युत अधि०, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त आसिफ उर्फ चिड़िया के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, जनपद हापुड़ के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—गौरव निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर, गाजियाबाद।
- 2—आशिफ उर्फ चिड़िया निवासी मिर्जापुर सेक्टर—12 विजयनगर थाना विजयनगर, गाजियाबाद।
- 3—रिजवान निवासी मिर्जापुर सेक्टर—12 विजयनगर थाना विजयनगर, गाजियाबाद।
- 4—सत्यप्रकाश निवासी डडवा थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर।
- 5—सतीश चन्द्र निवासी मोहल्ला केदारशाह अनूपशहर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1—लूटे गये सामान ब्रिकी के 25 हजार रुपये नगद।
- 2—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट की घटना का अनावरण
- लूट के 4650/-रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक: 15.05.2023 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1-पुष्प कुमार उर्फ पुसू 2-लवकुश कुमार 3-मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 4650/-रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये, मोबाइल फोन लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-पुष्प कुमार उर्फ पुसू निवासी ग्राम रुखिया थाना खीरी जनपद खीरी।
- 2-लवकुश कुमार निवासी ग्राम कौरैय्या धारा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
- 3-मनीष कुमार निवासी ग्राम कौरैय्या धारा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

बरामदगी

- 1-लूट के 4650/-रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन।
- 2-01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।
- 3-घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा

• पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 15.05.2023 को थाना कुरारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पतारा नैठी रोड के बगल जंगल में पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त शम्भू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 14.05.2023 को गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा की गयी फायरिंग में 30 नि0 घायल हो गये, जिसके सम्बन्ध में थाना कुरारा में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हमीरपुर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कुरारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शम्भू निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

➤ जनपद जालौन (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद जालौन पुलिस ने 04 अभियुक्तों 1—राजीव कुमार दुबे पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम कुचलिया थाना बेवर जनपद मैनपुरी 2—गणेश शुक्ला पुत्र गोवर्धन शुक्ला निवासी वार्ड नं0—2 डेरापुर जनपद कानपुर देहात 3— उमेशपाल पुत्र राजवीर सिंह

निवासी ग्राम अगर नगल राजू थाना गभाना जनपद अलीगढ़ 4—शिवेन्द्र सिंह पुत्र अहिवरन सिंह निवासी अलीपुरा तिर्वा रोड सौरीख जनपद कन्नौज द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
